



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट : https://snpv.ac.in

क्रमांक 616 / प्रशासन / NEP-2020 / 2024

रायगढ़, दिनांक 26/07/2024

प्रति,

प्राचार्य

सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

विषय – विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में NEP एम्बेसडर छात्र/छात्रा का मनोनयन एवं उनकी भूमिका विषयक।

संदर्भ – कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 580/187/आउशि/गु.प्र./2024 नवा रायपुर, दिनांक 24/07/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें प्राप्त निर्देशानुसार अपने महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन हेतु NEP एम्बेसडर छात्र/छात्रा का मनोनयन दिनांक 01.08.2024 तक सूनिश्चित करें।

NEP एम्बेसडर मनोनित छात्र/छात्रा का नाम, कक्षा एवं मोबाईल विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायगढ़ दिनांक 26/07/2024

पृ. क्रमांक 617 / प्रशासन / NEP-2020 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. कुलपति के निज सचिव को, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. कार्यालय प्रतिलिपि।

प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक -3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Email- slqaccg@gmail.com, Website - highereducation.cg.gov.in

क्र. 580/187/आउशि / गु.प्र./2024

नवा रायपुर, दिनांक : 24/07/2024

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, छत्तीसगढ़

प्रो N.E.P.
&
26/7/24

विषय: विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में NEP एम्बेसडर छात्र/छात्रा का मनोनयन एवं उनकी भूमिका विषयक।

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित समस्त प्रावधानों का समुचित ज्ञान एवं कतिपय उत्पन्न शंकाओं/समस्याओं के समाधान के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में NEP एम्बेसडर छात्र/छात्रा का मनोनयन दिनांक 01.08.2024 तक किया जाना है। NEP एम्बेसडर के मनोनयन एवं उनकी भूमिका संबंधित निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैं:-

NEP एम्बेसडर का मनोनयन :-

1. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों में से सर्वाधिक अंक प्राप्त एक छात्र एवं एक छात्रा को संकायवार NEP एम्बेसडर के रूप में मनोनित किया जाये।
2. NEP एम्बेसडर को विनम्र, सक्रिय एवं संवाद कौशल (हिन्दी/अंग्रेजी) में निपुण होना चाहिए।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का NEP क्रियान्वयन प्रकोष्ठ द्वारा NEP एम्बेसडर को NEP के समस्त प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षित करेगा।
4. महाविद्यालय द्वारा NEP एम्बेसडर हेतु अलग से एक परिचय पत्र उपलब्ध कराया जाये।
5. NEP एम्बेसडर के नाम एवं भूमिका की सूचना स्नातक प्रथम वर्ष की प्रत्येक कक्षा में दी जाये तथा उक्त जानकारी महाविद्यालय के सूचना पटल पर भी चस्पा की जाये।
6. NEP एम्बेसडर को दिनांक 05.08.2024 को आयोजित किये जाने वाले दीक्षारंभ कार्यक्रम में विद्यार्थियों से परिचित कराते हुए उद्बोधन हेतु उन्हें मंच प्रदान किया जाये।
7. प्राचार्य एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के द्वारा NEP एम्बेसडर के कार्यों का मासिक मूल्यांकन किया जायेगा एवं निर्देशानुसार कार्य न करने की स्थिति में इनके स्थान पर अन्य विद्यार्थी का चयन महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

संलग्न :- NEP एम्बेसडर के कार्य एवं भूमिका।

श्रीमती शारदा वर्मा

आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, दिनांक : 24/07/2024

पृ. क्र. 581/187/आउशि / गु.प्र./2024

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ0ग0 शासन को सूचनार्थ।
2. टास्क फोर्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर को सूचनार्थ।

आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

NEP एम्बेसडर के कार्य / भूमिका

1. NEP एम्बेसडर विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के विद्यार्थियों को NEP से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करने के साथ NEP से संबंधित शंकाओं का भी समाधान करेंगे।
2. NEP एम्बेसडर विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में गठित NEP क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के साथ सतत् संपर्क में रहेंगे तथा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते समय यदि कोई शंका उत्पन्न होती है तो NEP क्रियान्वयन प्रकोष्ठ से मार्गदर्शन प्राप्त कर विद्यार्थियों के शंकाओं का समुचित समाधान करेंगे।
3. NEP एम्बेसडर द्वारा दीक्षारंभ कार्यक्रम में पूर्ण सक्रियता के साथ भागीदारी सुनिश्चित करते हुये विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।
4. प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा जेनेरिक इलेक्टिव एवं वेल्यू एडिशन कोर्स के चयन करने हेतु विद्यार्थियों का सहयोग NEP क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में करेंगे।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानानुसार संचालित सतत् आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया में NEP एम्बेसडर द्वारा विद्यार्थियों का सहयोग NEP क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में करेंगे।
6. उच्च शिक्षा विभाग / विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में जारी निर्देशों से भी विद्यार्थियों को अवगत करायेगे।